फर्द अहकाम

72/2018 रामजीवण / भोला वगै०

केस संख्या ~~/2020~~

72

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 06/11/2020 | पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पक्षकारान उप० / आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नाम।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>दूदू | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 79 / 2018

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 18 / 09 / 2018

निर्णय दिनांक : 06/1/2020

रामजीवण पुत्र बाल्या उर्फ बालू, जाति माली, निवासी पडासौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

1. माया पुत्री बाल्या उर्फ बालू पत्नी भागचन्द, जाति माली, निवासी अंराई, तहसील अंराई, जिला अजमेर, राज0।
2. गीता पुत्री बाल्या उर्फबालू पत्नी कानाराम, जाति माली, निवासी रलावता, जिला अजमेर, राज0।
3. सीता पुत्री बाल्या उर्फ बालू पत्नी बंशीलाल, जाति माली, निवासी रलावता, त हसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
4. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

—– अप्रार्थीगण

—– प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा —–

उपस्थिति – *श्री त्रिलोक सिंह चौधरी*
*विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी*

*श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत*
*विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ल. 2*

*अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।*

निर्णय दिनांक 06/01/2020

## — निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सस्वत् 2071 से 2074 की आराजीयात खाता संख्या 222 के आराजी खसरा नम्बर 2711 ल0 2756, 2771 ल0 2774 कुल किता 39 कुल रकबा 28.4700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 427 के आराजी खसरा नम्बर 1540, 1541, 1550, 1559, 2694, 2698, 3099 / 2699, 3109 / 2695 कुल किता 09 कुल रकबा 0,7900 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 195 की

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

आराजी खसरा नम्बर 1539, 1552, 3113/1551 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पड.सौली तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात हाल खाता संख्या 222 के साबिक खसरा नम्बर 2238 ल0 2243, 2253 लगायत 2270, 2294, 2295 एवं हाल खाता संख्या 427 के खसरा नम्बर 1540, 1541, 1550, 1551, 1559, 2694, 2698, 3099/2699, 3109/2695 के साबिक ख.नं. 1379, 1384, 1385, 1393, 2208, 2230 एवं हाल खाता संख्या 195 की आराजी ख.नं. 1539, 1552, 3113/1551 के साबिक खसरा नम्बर 1378, 1386 है जो मिलन क्षेत्रफल से प्रमाणित है। विवादग्रास्त आराजी खाता संख्या 222 में प्रार्थी का 1/17 हिस्सा एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/48 हिस्सा एवं खाता संख्या 427 में प्रार्थी सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 195 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, वर्तमान में प्रार्थी खाता संख्या 222 में 1/2 एवं खाता संख्या 427 में सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 195 में 1/3 हिस्से पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1,2 व 3 का किसी प्रकार का सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। चूंकि प्रार्थी के पिता बालू की सेवा सुश्रषा प्रार्थी ने ही की थी तथा बालू का स्वर्गवास सन् 1997 में होने पर सभी कियाकम प्रार्थी ने ही सम्पूर्ण किये थे, अप्रार्थी संख्या 1, 2,3 की शादी का खर्चा प्रार्थी ने उठाया था उस दौरान जब प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हुआ, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 ने पुरा हिसाब कर अपनी सहमति से प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण खुलवाया था । जिस पर खाता संख्या 222 की आराजी का नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 31.7. 1996के अनुसार प्रार्थी के पिता बाल्या उर्फ बालू का विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि भंवरी देवी के हक में तस्दीक कर दिया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 करीब् 20-25 वर्ष से अपने ससूराल में रहकर जीवन यापन कर रही है उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1,2,3 कस किसी प्रकार का सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है, प्रार्थी का कब्जा अपने पिता के जीवनकाल से लोकर आज तक चला आ रहा है एवं प्रार्थी उक्त भूमि पर निवस कर काबिज काश्त होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की पत्नि भंवरी देवी का सन् 2015 में स्वर्गवास होने पर भंवरी देवी का विरासत का नामान्तकरण खाता संख्या 222 में नामन्तकरण संख्या 723 दिनांक 8.7.2015 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के में हिस्सा 1/24 तस्दीक कर दिया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1,2,3 ने उक्त भूमि को प्रार्थी के नाम लगवाने का आश्वासान दिया था और अप्रार्थी संख्या 3 सीता ने नामान्तकरण संख्या 851 दिनांक 5.11.2016 को प्रार्थी के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

हकत्याग करवा दिया जब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त विवादग्रस्त आराजी को नाम लगवाने बाबत् कहां तो अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने प्रार्थी को आश्वासन दिया की जब उक्त आराजी पर आप वाह जोत कर उपयोग उपभोग कर रहे हो तो फिर चिन्ता क्यो करते हो, हम जल्द ही आराजी को प्रार्थी के नाम करवा देंगे, लेकिन वर्तमान में जमीनों के भावों में वृद्वि हो जने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से की आराजी को हड़पना चाहते है। अभी हाल ही में दिनांक 25.8.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनजान व्यक्तियों को अपने साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये और प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वह जल्द ही उक्त विवादग्रस्त आराजी को बैचान करेंगे और वादी को कब्जे से बेदखल करेंगे। इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना प्रस्तुत किया जाना लाजिमी हुआ है।

अन्त में दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे काश्त उपयोग उपभोग, कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें, न कब्जे से बेदखल न स्वंय करें न अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि से करावें एवं न ही किसी प्रकार से रहन, बेय, मुन्तकिल आदि ही करें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

दिनांक 27/02/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल, असल भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2011 से 2024 खाता संख्या 79, 68, 63 असल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2075, खाता संख्या 222, 427, 495 दिनांक 10/07/2018 तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

दृष्टया … अवलोकन से यह पाया …

आराजीयात खाता संख्या 427 व 495 का प्रार्थी ही एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा खाता संख्या 222 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड सहखातेदार हैं। इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे में दखल करने का किसी भी व्यक्ति को कानूनन अधिकार नही है, चूंकि प्रार्थी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं सहखातेदार है, इसलिये प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

सुविधा का सन्तुलन – जमाबन्दी सम्वत 2071–2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार व सहखातेदार काश्तकार हैं, बकौल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का हक व हिस्सा बनता है, तो उसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो पायेगा, लेकिन चूंकि जब तक प्रकरण में किसी प्रकार की पेचीदगीया नही बढे इसलिये यदि इस स्टेज पर यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

अपूर्तनीय क्षति – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पायी जाती हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात से विवादित आराजीयात प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त होकर प्रार्थी का अनवरत कब्जा काश्त होना साबित होता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार भी नही हैं, मात्र खाता संख्या 222 में सहखातेदार हैं। इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं को अपने पक्ष में बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 222 के आराजी खसरा नम्बर 2711 ल0 2756, 2771 ल0 2774 कुल किता 39 कुल रकबा 28.4700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 427 के आराजी खसरा नम्बर 1540, 1541, 1550, 1559, 2694, 2698, 3099/2699, 3109/2695 कुल किता 09 कुल रकबा 0.7900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 195 की

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

ती खसरा नम्बर 1539, 1552, 3113/1551 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1300
कर वाके ग्राम पड़ासोली, तहसील दूदू में प्रार्थी के कब्ज कास्त में किसी प्रकार की
उत्पन्न नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।
ली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)